न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 43 / 2024	2024 / 93	30—10—2024	26.12.2024

01. प्रवर्तन अधिकारी, अलवर जिला अलवर (राजस्थान) । —प्रार्थी

बनाम

01. श्री संजय खण्डेलवाल पुत्र श्री रूपनारायण, निवासी 91, इंदिरा कॉलोनी अलवर। —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 01 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने बाबत।

उपस्थितः— —विभागीय प्रतिनिधि

1. विनोद जुनेजा, प्रवर्तन अधिकारी

——:: निर्णय ::——

प्रवर्तन अधिकारी, अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 01 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 "ए" प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रवर्तन अधिकारी, अलवर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 20.09.2024 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार मैं विनोद श्जुनेजा, प्रवर्तन अधिकारी बहमराह श्री रणधीर सिंह, प्रवर्तन अधिकारी, श्री कृष्ण कुमार बॉयला, प्रवर्तन अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी, घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरूपयोग की जांच हेतु श्री संजय खण्डेलवाल पुत्र श्री रूपनारायण, निवासी 91, इन्दिरा कॉलोनी, अलवर की खण्डेलवाल पवित्र भोजनालय, स्टेशन रोड, अलवर पर स्थित दुकान पर पहुंचे। मौके पर श्री संजय खण्डेलवाल पुत्र श्री रूपनारायण, निवासी 91, इन्दिरा कॉलोनी, अलवर उपस्थित मिले। श्री संजय खण्डेलवाल पुत्र श्री रूपनारायण की दुकान पर 1 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से संग्रहित मिला। जिसका उपयोग व्यावसायिक कार्य के लिए किया जा रहा था। फर्द अभिग्रहण एवं फर्द सुपुर्दगीनामा पृथक से तैयार किया गया। श्री संजय खण्डेलवाल पुत्र श्री रूपनारायण द्वारा वक्त जांच घरेलू सिलेण्डर के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री संजय खण्डेलवाल के द्वारा घरेलू सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 1 घरेलू गैस सिलेण्डर को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया। मौके पर उक्त कब्जेराज 1 घरेलू गैस सिलेण्डर को मै० गोविन्द गैस, अलवर के प्रतिनिधि श्री राजू सिंह पुत्र श्री कुन्दन सिंह को सुपुर्द किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 1 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने की कृपा करें।

अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी / प्रार्थी खण्डेलवाल पवित्र भोजनालय के नाम से स्टेशन रोड, अलवर पर व्यवसाय करता है। श्री विनोद जुनेजा प्रवर्तन अधिकारी, अलवर ने दिनांक 20.09.2024 को घरेलू गैस के व्यवसायिक दुरूपयोग की जांच हेतु जब अप्रार्थी / प्रार्थी के प्रतिष्ठान पर पहुंचे तो प्रार्थी के प्रतिष्ठान पर एक घरेलू गैस सिलैण्डर संग्रहित मिला। किन्तु उक्त गैस सिलैण्डर का उपयोग व्यवसायिक कार्य हेतु नहीं किया जा रहा था, जैसा कि नोटिस में भी अंकित है। इस संबंध में प्रार्थी का निवेदन है कि प्रार्थी का निवास 91 इन्द्रा कॉलोनी, अलवर में है। जिस दिन गैस कम्पनी के हॉकर द्वारा

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

प्रार्थी के घरेलू गैस सिलैण्डर की डिलीवरी की जा रही थी, उस दिन घर पर कोई नहीं था, तथा घर का ताला लगा हुआ था, जिस पर उसके द्वारा प्रार्थी को कॉल करने पर प्रार्थी द्वारा हॉकर से अपने घरेलू गैस सिलैण्डर को अपने व्यवसायिक स्थल पर मंगवा लिया था, जिस कारण प्रार्थी के प्रतिष्ठान पर गैस सिलैण्डर संग्रहित मिला, जिसका कोई व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जा रहा था। प्रार्थी के प्रतिष्ठान से जब्त किया गया गैस सिलैण्डर प्रार्थी का स्वयं का घरेलू गैस सिलैण्डर है, जिसकी पास--बुक की प्रति जवाब नोटिस के साथ प्रस्तुत है। अतः जवाब नोटिस प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की उपरोक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुये प्रार्थी को नोटिस के भार से मुक्त करने की कृपा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी का कथन है कि जिस दिन गैस कम्पनी के हॉकर द्वारा प्रार्थी/अप्रार्थी के घरेलू गैस सिलैण्डर की डिलीवरी की जा रही थी, उस दिन घर पर कोई नहीं था तथा घर का ताला लगा हुआ था, जिस पर अप्रार्थी द्वारा हॉकर से अपने घरेलू गैस सिलैण्डर को अपने व्यवसायिक स्थल पर मंगवा लिया था, जिस कारण प्रार्थी/अप्रार्थी के प्रतिष्ठान पर गैस सिलैण्डर संग्रहित मिला जिसका कोई व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जा रहा था। प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, अलवर के अनुसार वक्त जांच मौके पर मौके श्री संजय खण्डेलवाल पुत्र श्री रूपनारायण की दुकान पर 1 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से संग्रहित मिला, जिसका उपयोग व्यावसायिक कार्य के लिए किया जा रहा था। श्री संजय खण्डेलवाल पुत्र श्री रूपनारायण द्वारा वक्त जांच घरेलू सिलेण्डर के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री संजय खण्डेलवाल के द्वारा घरेलू सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जाना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 व आरपीपीएल 1990 के प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है, जो आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6—ए स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6—ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा 1 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा 1 घरेलू गैस सिलेण्डर सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)